

न्यूज़ीलैंड की सरकारी एजेंसियों के बारे में जानकारी

निम्नलिखित सरकारी एजेंसियां न्यूज़ीलैंड में राष्ट्रीय सुरक्षा और आपके अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। यह जानकारी इस बारे में है कि वे क्या करते हैं और वे आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। आप विदेशी हस्तक्षेप की रिपोर्ट न्यूज़ीलैंड पुलिस और NZSIS को कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के बारे में अधिक जानने के लिए देखें: [विदेशी हस्तक्षेप की रिपोर्ट कैसे करें](#)।



New Zealand Police | Ngā Pirihimana o Aotearoa

न्यूज़ीलैंड पुलिस ऐसी सेवाएँ प्रदान करती है जो यह सुनिश्चित करती हैं कि लोग अपने घरों में, सड़कों पर और अपने समुदायों में सुरक्षित रह सकें और सुरक्षित महसूस कर सकें। पुलिस अपराध और क्षति को रोकने के लिए 24 घंटे सक्रिय रूप से काम करती है। लगभग 15,000 कर्मचारियों के साथ, हम शहरी और ग्रामीण [पुलिस] स्टेशनों और प्रमुख पुलिस केंद्रों से काम करते हैं।

हम भूमि, समुद्र और हवा में काम करते हैं, और प्रति वर्ष 13 लाख से अधिक घटनाओं का जवाब देते हैं - 925,000 से अधिक 111 कॉल और 743,000 से अधिक गैर-आपातकालीन कॉल का जवाब देते हैं।

पुलिस कर्मचारी न्यूज़ीलैंड में सभी की सहायता करने और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित हैं। पुलिस सेवाएं मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से प्रदान की जाती हैं।

पुलिस की मुख्य भूमिकाओं में अपराध और सड़क दुर्घटनाओं को रोकना, जांच करना, सुलझाना और कम करना शामिल है। पुलिस के कार्यों में शामिल हैं:

- शांति बनाए रखना
- सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना
- कानून मानने को बाध्य करना
- अपराध की रोकथाम
- सामुदायिक समर्थन और आश्वासन
- राष्ट्रीय सुरक्षा
- न्यूज़ीलैंड के बाहर पुलिस गतिविधियों में भागीदारी

- आपातकालीन प्रबंधन।

जातीय संपर्क अधिकारी

पुलिस विविधता को महत्व देती है तथा देश भर में जातीय संपर्क अधिकारी उपलब्ध करा कर जातीय समुदायों को समर्थन प्रदान करती है। वे समुदायों को पुलिस सेवाओं को समझने और उन तक पहुंचने में मदद करने के लिए उनके साथ काम करते हैं, सामुदायिक चिंताओं के बारे में पुलिस को जानकारी प्रदान करते हैं तथा जातीय समुदायों से जुड़े अपराधों की जांच और रोकथाम के लिए पुलिस के साथ काम करते हैं।

हमारे कर्मचारी आपकी चिंताओं को सुनने और सुरक्षा में सुधार के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।

यदि आपको व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन धमकियां दी जाती हैं, जिससे आप स्वयं या दूसरों के लिए भयभीत महसूस करते हैं, तो कृपया पुलिस से संपर्क करें। इसमें कोई भी घटना शामिल है जो जाति, धर्म, यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान, विकलांगता या आयु के आधार पर शत्रुता से प्रेरित हो सकती है।

सभी न्यूजीलैंडवासियों को अपने आस-पास के वातावरण के प्रति सचेत रहना चाहिए और अधिकारियों को संदिग्ध या असामान्य व्यवहार की सूचना करनी चाहिए।

111 पुलिस आपातकाल:

111 पर कॉल करें और पुलिस की मांग करें, जब:

- लोग घायल हैं या खतरे में हैं; या
- जीवन या संपत्ति को गंभीर, तात्कालिक या एकदम खतरा है; या कोई अपराध हो रहा है या हाल ही में हुआ है, और अपराधी अभी भी घटनास्थल पर हैं या हाल ही में वहां से निकले हैं।

105 गैर-आपातकालीन पुलिस रिपोर्टिंग:

यदि सूचना समय-महत्वपूर्ण नहीं है, तो लोग अपने स्थानीय पुलिस को संदिग्ध या असामान्य व्यवहार की सूचना इस प्रकार दे सकते हैं:

- 105.police.govt.nz पर ऑनलाइन रिपोर्ट पूरी करना या न्यूजीलैंड पुलिस के गैर-आपातकालीन नंबर [105](https://105.police.govt.nz) पर फ़ोन कर के
- अपने निकटतम [पुलिस स्टेशन](#) पर जा कर
- [0800 555 111](https://0800.555.111) पर [क्राइम स्टॉपर्स को](#) कॉल कर के

यदि आपको पुलिस से बात करने की जरूरत हो तो किसी भी मोबाइल या लैंडलाइन से 105 पर कॉल करें। यह एक निःशुल्क राष्ट्रव्यापी सेवा है जो 24/7 (चौबीस घंटे, सातों दिन) उपलब्ध है। यदि आप 105 पर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया हमसे ऑनलाइन <https://www.police.govt.nz/use-105> पर संपर्क करें।



Te Pā Whakamarumaru
New Zealand Security
Intelligence Service

The New Zealand Security Intelligence Service | Te Pā Whakamarumaru

न्यूज़ीलैंड सुरक्षा खुफिया सेवा (NZSIS) न्यूज़ीलैंड की घरेलू सुरक्षा खुफिया एजेंसी है। इसका उद्देश्य न्यूज़ीलैंड और यहां रहने वाले सभी नागरिकों को सुरक्षित रखना है।

NZSIS एक सार्वजनिक सेवा विभाग है जो न्यूज़ीलैंड की राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाले खतरों की जांच करता है। इसका अर्थ है न्यूज़ीलैंड को एक स्वतंत्र, खुले और लोकतांत्रिक समाज के रूप में संरक्षित करना। यह न्यूज़ीलैंड के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आर्थिक खुशहाली को भी बनाए रखने में सहायता करता है।

यह न्यूज़ीलैंड की घरेलू सुरक्षा एजेंसी है तथा मानव खुफिया जानकारी के क्षेत्र में अग्रणी है। इसका मतलब यह है कि यह विभिन्न प्रकार के लोगों से बात करके जानकारी एकत्र करती है। NZSIS द्वारा उत्पादित खुफिया जानकारी सरकार और अन्य नीति निर्माताओं को अच्छे निर्णय लेने में सहायता के लिए प्रदान की जाती है।

NZSIS का एक अन्य कार्य सरकारी एजेंसियों और अन्य लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों से अपने लोगों, सूचनाओं और परिसंपत्तियों की रक्षा करने में सहायता करना है।

NZSIS के लिए ध्यान केन्द्रित करने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं:

- विदेशी हस्तक्षेप, जिसमें विदेशी राज्य की बलपूर्वक गतिविधि द्वारा जातीय समुदायों को निशाना बनाना शामिल है।
- जासूसी
- हिंसक उग्रवाद और आतंकवाद

NZSIS न्यूजीलैंड पुलिस और सरकारी संचार सुरक्षा ब्यूरो (GCSB - जीसीएसबी) जैसे घरेलू साझेदारों के साथ मिलकर काम करता है। यह अपने मिशन के तहत समुदायों, इवी माओरी (iwi Māori), स्थानीय सरकार, शिक्षा क्षेत्र, व्यवसायों और संगठनों के साथ भी काम करता है।

यह इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एक्ट 2017 (खुफिया और सुरक्षा अधिनियम 2017) नामक कानून के तहत काम करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि NZSIS वैधानिक रूप से कार्य करता है, राजनीतिक रूप से तटस्थ है और मानवाधिकार दायित्वों को कायम रखता है। NZSIS को न्यूजीलैंड सरकार द्वारा निर्धारित खुफिया प्राथमिकताओं के अनुसार काम करना होगा।

NZSIS किसी को भी गिरफ्तार या हिरासत में नहीं ले सकता है, तथा यह लोगों की जांच उनके धर्म, राष्ट्रियता या वैध विरोध गतिविधि में शामिल होने के आधार पर नहीं करता है।

सभी सार्वजनिक सेवा विभागों की तरह, NZSIS लोकपाल, गोपनीयता आयुक्त, महालेखा परीक्षक कार्यालय और लोक सेवा आयोगके प्रति जवाबदेह है।

NZSIS खुफिया और सुरक्षा महानिरीक्षक द्वारा मजबूत, स्वतंत्र निगरानी के अधीन भी है। उनकी भूमिका शिकायतों की जांच करना और खुफिया एजेंसियों से सम्बंधित जाँच करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वैधानिक एवं उचित तरीके से काम कर रहे हैं। NZSIS न्यूजीलैंड की संसद और मंत्रियों के प्रति भी जवाबदेह है।

पर अधिक जानें: [Home | New Zealand Security Intelligence Service](#)

सूचित रहें: [Engagement | New Zealand Security Intelligence Service](#)

चिंता की रिपोर्ट करें: [Reporting a national security concern](#)



Te Tira Tiaki
Government Communications
Security Bureau

The Government Communications Security Bureau | Te Tira Tiaki

सरकारी संचार सुरक्षा ब्यूरो (GCSB) सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए न्यूजीलैंड की प्रमुख एजेंसी है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार से प्राप्त खुफिया जानकारी।

यह खुफिया जानकारी सरकारी एजेंसियों को उनके कार्यों और निर्णय लेने में सहायता के लिए प्रदान की जाती है। GCSB को विदेशी साझेदारों, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा से भी खुफिया जानकारी प्राप्त होती है। GCSB और विदेशी खुफिया जानकारी का यह संयोजन न्यूजीलैंड को विश्व को समझने और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का प्रबंधन करने में मदद करता है।

GCSB राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र (NCSC) के माध्यम से साइबर सुरक्षा के लिए प्रमुख परिचालन एजेंसी भी है, जो GCSB के भीतर एक व्यावसायिक इकाई है। NCSC समस्त न्यूजीलैंड को साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करता है - व्यक्तियों से लेकर छोटे और मध्यम व्यवसायों और संगठनों, बड़े उद्यमों, सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण संगठनों तक।

[ओन योर ऑनलाइन \(Own Your Online\)](#) NCSC की वेबसाइट है जो व्यक्तियों और छोटे से मध्यम व्यवसायों के लिए साइबर सुरक्षा सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करने पर केंद्रित है। साइबर सुरक्षा घटना की रिपोर्ट करने के लिए, [ओन योर ऑनलाइन \(Own Your Online\)](#) या [राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र](#) पर जाएं।

GCSB न्यूजीलैंड सुरक्षा खुफिया सेवा (NZSIS) के साथ मिलकर काम करता है। NZSIS न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों की जांच करता है, जिसमें न्यूजीलैंड के लोकतंत्र की रक्षा, विदेशी हस्तक्षेप के खतरे और सभी लोगों के स्वतंत्र रूप से रहने और बोलने के अधिकार शामिल हैं।

ऐसे कई सुरक्षा उपाय हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि GCSB हमेशा न्यूजीलैंड के कानून और मानवाधिकार दायित्वों के अनुसार कार्य करता है।

GCSB इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एक्ट 2017 के तहत अपने कार्यों को अंजाम देता है, यह एक ऐसा कानून है जो न्यूजीलैंड को एक स्वतंत्र, खुले और लोकतांत्रिक समाज के रूप में बचाता है।

GCSB एक सार्वजनिक सेवा विभाग है और सभी सरकारी एजेंसियों की तरह यह लोकपाल, गोपनीयता आयुक्त, महालेखा परीक्षक कार्यालय और लोक सेवा आयोग के प्रति जवाबदेह है। GCSB खुफिया एवं सुरक्षा महानिरीक्षक की सशक्त, स्वतंत्र निगरानी के भी अधीन है। महानिरीक्षक खुफिया एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है तथा यह जांचने के लिए समीक्षा और पूछताछ करता है कि वे वैधानिक एवं उचित तरीकों से कार्य कर रहे हैं। GCSB न्यूजीलैंड की संसद और मंत्रियों के प्रति भी जवाबदेह है।

GCSB के लिए लगभग 600 कर्मचारी काम करते हैं। वे न्यूजीलैंड के समाज से आये हैं और विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में काम करते हैं। GCSB की एक सार्वजनिक वेबसाइट www.gcsb.govt.nz है जो इसके काम के बारे में अधिक जानकारी देती है।



Te Kāhui Tika Tangata Human Rights Commission | Te Kāhui Tika Tangata

ते काहुई तीका तंगाता (Te Kāhui Tika Tangata) मानवाधिकार आयोग न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था (NHRI) है। "यह एक मानव अधिकार है (He whakamana tangata)। सभी के लिए सम्मान का जीवन" हमारा आदर्श वाक्य है और हम सभी न्यूजीलैंडवासियों के मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें मजबूत करके इसे मूर्त रूप देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वेतांगी की संधि (Te Tiriti o Waitangi) हमारे हर काम में अंतर्निहित हो।

मानवाधिकार आयोग में चार आयुक्त, एक मूल निवासी अधिकार शासन भागीदार और लगभग 60 कर्मचारी ऑकलैंड, वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च में कार्यरत हैं।

हम कई तरीकों से मानवाधिकारों को बढ़ावा देते और उनकी रक्षा करते हैं। इनमें से एक है हमारी निःशुल्क और गोपनीय सेवाओं के माध्यम से मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत गैरकानूनी भेदभाव के बारे में शिकायतों के समाधान में जनता की मदद करना।

हमारे केस सलाहकार और मध्यस्थ, लोगों को जानकारी प्रदान करने, शीघ्र समाधान में सहायता करने और विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए उनके साथ काम करते हैं। हमारी सेवाएँ निःशुल्क एवं गोपनीय हैं। हम शिकायतों की जांच या यह निर्धारित नहीं करते कि कानून का उल्लंघन हुआ है।

यदि आपको लगता है कि आपकी जाति, धर्म, लिंग, लैंगिक अभिव्यक्ति, यौन अभिविन्यास, विकलांगता या किसी अन्य व्यक्तिगत विशेषता के कारण आपने भेदभाव का अनुभव किया है, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

यदि आपने यौन उत्पीड़न, अवांछित यौन व्यवहार का अनुभव किया है, या कोई व्यक्ति आपके यौन रुझान या लिंग अभिव्यक्ति को बदलने का प्रयास कर रहा है, तो भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

भेदभाव एक व्यक्ति, जैसे कि एक नियोक्ता, एक दुकानदार, एक शिक्षक, या एक संगठन या सेवा प्रदाता जैसे कि रेस्तरां या एक सरकारी संगठन द्वारा हो सकता है।

मानवाधिकार आयोग में शिकायत करना निःशुल्क और गोपनीय है। शिकायत करने के बारे में अधिक जानने के लिए, हमारी वेबसाइट tikatangata.org.nz पर जाएँ।

ते रेओ माओरी (te reo Māori), समोअन, टोंगन, पारंपरिक चाइनीज़, सरलीकृत चाइनीज़ और हिंदी में [जानकारी उपलब्ध है](#), साथ ही सुलभ प्रारूपों जैसे कि ईजी रीड, ब्रेल फ़ाइल, बड़े प्रिंट और ऑडियो में भी उपलब्ध है।

यह एक मानव अधिकार है (He whakamana tangata)।
सभी के लिए सम्मानपूर्ण जीवन।



Ombudsman
Kaitiaki Mana Tangata

Ombudsman | Kaitiaki Mana Tangata

जब लोगों को केन्द्र और स्थानीय सरकार सहित सरकारी एजेंसियों के साथ समस्या हो तो लोकपाल मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, सामाजिक विकास मंत्रालय, इमिग्रेशन न्यूज़ीलैंड, आपके बच्चे का स्कूल और आपकी स्थानीय परिषद।

लोकपाल से पूछताछ या शिकायत करना निःशुल्क है और यह सभी के लिए उपलब्ध है।

यदि आपको लगता है कि किसी सरकारी एजेंसी ने कोई ऐसा कार्य किया है या कोई ऐसा निर्णय लिया है जो आपके लिए नापसंद है, तथा जो आपके अनुसार अनुचित, अविवेकपूर्ण या गलत है, तो आप लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत पर सावधानी से विचार किया जाएगा। लोकपाल आपको पहले एजेंसी से शिकायत करने के लिए कह सकता है और यह कैसे किया जाए इस बारे में सलाह दे सकता है। लोकपाल आपको अपनी चिंताओं को उठाने के अन्य विकल्पों के बारे में जानकारी दे सकता है। लोकपाल आपकी शिकायत का समाधान करने या उसकी जांच करने में भी मदद कर सकता है।

यदि कोई सरकारी एजेंसी आपको जानकारी देने से इनकार करती है तब भी आप लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं।

लोकपाल उन लोगों की भी सहायता करता है जो अपने कार्यस्थल पर गंभीर गलत काम का खुलासा करना चाहते हैं, या जिन्हें इस बारे में सलाह की आवश्यकता है कि खुलासा करते समय उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। लोकपाल खुलासे या प्रकटीकरण की जांच कर सकता है या उन्हें विचार करने के लिए 'उपयुक्त प्राधिकारी' को भेज सकता है।

लोकपाल से संपर्क करने के लिए आप मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। लोकपाल को आपकी चिंता के बारे में किसी अन्य को नहीं बताना चाहिए, जब तक कि यह करना उसके समाधान के लिए आवश्यक न हो।

लोकपाल स्वतंत्र है और वह कानूनी सलाह नहीं देता है, अथवा वकील या एजेंट के रूप में कार्य नहीं करता है।

संपर्क करना

यदि आपके कोई प्रश्न हों या आप कोई शिकायत करना चाहते हों तो आप लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।

- फ़्रीफोन: [0800 802 602](tel:0800802602)
- लोकपाल की वेबसाइट पर शिकायत फ़ॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन:
<https://www.ombudsman.parliament.nz/> पर जाएं और 'सहायता प्राप्त करें (पब्लिक के लिए)' पर क्लिक करें
- ईमेल: info@ombudsman.parliament.nz
- डाक: The Ombudsman, PO Box 10152, Wellington 6143

[लोकपाल की वेबसाइट](#) पर विभिन्न भाषाओं और प्रारूपों में उपयोगी संसाधनों और प्रकाशनों की एक श्रृंखला उपलब्ध है।